न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

राज्य।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

बनाम

पानी फिल्टर दुकान (भोल भगत उर्फ मनीन्द्र कुमार)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस का प्रकार–

केस संख्या– **413/2020–21**,

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त पानी फिल्टर दुकान के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 1086/हि०शा०, दिनांक 23.03.2020 के आलोक में किया गया हैं। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव सलखुआ (बनमा ईटहरी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–16/2020 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त पानी फिल्टर दुकान के अधिहरण से संबंधित है। सलखुआ (बनमा ईटहरी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–16/2020, घटना का स्थान– तेलियाहाट बाजार, घटना की तिथि– 22.01.2020 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– "यह कांड वादी पु0अ0नि0 कमलेश कुमार सिंह वर्त्तमान ओ0पी0 अध्यक्ष बनमा ईटहरी थाना–सलखुआ, जिला–सहरसा स्थायी पिता–स्व0 गंगाधर सिंह, सा0–एकवना घाट, थाना–बड़हरा जिला–भोजपुर(आरा) के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी अभियुक्त भोला भगत पिता–देवेन्द्र भगत, सा0–तेलियाहाट बजार, थाना–सलखुआ(बनमा ईटहरी ओ0पी0) जिला–सहरसा के विरूद्ध पानी फिल्टर सपलायर दुकान के अन्दर छिपाकर विदेशी शराब रखा है। सफेद प्लास्टिक की बोरी जिसके अन्दर कार्टून के अन्दर में रखा ROYAL CHALLENGE GOLD WHISKY 12 बोतल प्रत्येक बोतल 180 एम0एल0 का कुल शराब 02 लीटर 160 एम0एल0 छापामारी दल द्वारा बरामद/जप्त करने के आरोप में अंकित किया गया है। प्राथमिकी में बनाये गये अभियुक्त भोला भगत घर के सिढी से छत पर चढ़ कर भागने में कामयाब हो गये। बरामद/जप्त प्रदर्श में से 360 एम0एल0 जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक केन्द्र कुम्हरार पटना भेजा गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। आरोप	

पत्र सम्भावित है। प्राथमिकी अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।''

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं पानी फिल्टर दुकान के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया गया और पानी फिल्टर दुकान के अधिहरण के बिन्दु पर पानी फिल्टर दुकान मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

पानी फिल्टर दुकान मालिक भोला भगत उर्फ मनीन्द्र कुमार, पिता– देवेन्द्र भगत, साकिन–तेलियाहाट बाजार, थाना–सलखुआ (ओ0पी0 बनमा ईटहरी), जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

उनका कहना है कि यह वाद सलखुआ (बनमा ईटहरी) थाना कांड सं0–16/2020 के आधार पर पानी फिलटर दुकान के अधिहरण करने के लिए प्रारंभ किया गया हैं । उनके सामने न तो कोई शराब दुकान से बरामद हुआ है न ही शराब बरामदगी के समय वे दुकान पर थे। पुलिस के स्वयं के ब्यान के आधार पर सलखुआ थाना कांड सं0–16/20 दर्ज हुआ है। पुलिस द्वारा अपने आरोप पत्र/जप्ती सूची में जिन दो गवाहों दामोदर यादव एव [illegible] भारती का उल्लेख किया है। उन दोनों के तरफ से शपथ पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई शराब का [illegible] विपक्षी भोला भगत के दुकान से जप्त नहीं किया गया था। दोनों गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दरोगाजी हमसे सादा कागज पर दस्तखत करवा लिए तथा भोला भगत का दुकान एक दिन पूर्व से बंद था।

उनका आगे कहना है कि वे बीमार रहने के कारण एक दिन पूर्व से अपना दुकान बंद किए हुए थे। जब उन्हें इस मुकदमा के बारे में जानकारी हुई तो वह उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार न्यायालय में आत्म समर्पण कर अपना जमानत करवा लिया है। इनके द्वारा कभी भी अपने पानी फिल्टर के दुकान में शराब बिक्री का काम नहीं किया गया है। जप्ती हेतु प्रस्तावित पानी फिल्टर के दुकान इनके दादा बिन्देश्वरी भगत के नाम से है। बिन्देश्वरी भगत के मरने के बाद उसके पाँचो पुत्र इस मकान वो जमीन पर सामान रूप से अधिकारी है। उनका कहना है कि भोला भगत के नाम से कोई भी पानी फिल्टर का दुकान नहीं है। जब भोला भगत के नाम से दुकान हीं नहीं है तब उस परिस्थिति में उक्त दुकान का अधिहरण किया जाना उचित नहीं है। वे निर्दोष है तथा गाँव की गंदी राजनीति के चलते फंसाया गया है।

	इनके ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में इस अधिहरण वाद की कार्यवाही को बंद किये जाने का अनुरोध किया गया। राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि पानी फिल्टर का दुकान का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त पानी फिल्टर का दुकान को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त परिसंर के संबंध प्राप्त प्रस्ताव में स्पष्ट विवरणी नहीं दी गयी है। अतः उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। परिसर मालिक के अनुपस्थिति में इस कांड में वादी के द्वारा कुछ मात्रा में अवैध शराब बरामद होने के कारण यह कांड दर्ज किया गया है। अतः परिसर स्वामी को संदेह का लाभ देना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त के अलोक में उक्त जप्त परसिर के परिसर स्वामी को कड़ी चेतावनी देते हुए मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं शुद्धिकृत 24/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा। 24/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 115 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28.01.21